बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या – 01 / भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(खगड़िया)–05 / 2021(खंड) 12876 पटना, दिनांकः 22/07/2024

आदेश

बंदोबस्त पदाधिकारी, खगड़िया के पत्रांक 941–।। दिनांक 29.12.2023 द्वारा श्री प्रकाश कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन(AEN040[redacted]) के विरूद्ध प्रतिवेदित किया गया है कि श्री कुमार द्वारा आवंटित राजस्व ग्राम चौथम का खानापुरी कार्य दिनांक 17.11.2022 से प्रारंभ करने के बाद भी प्रतिवेदित तिथि तक 12944 खेसरा में से मात्र 2751 का खानापुरी एवं 1694 का याद्दाश्त पंजी संधारण किया गया है, जिस संबंध में शिविर प्रभारी द्वारा प्रक्रमवार कार्य सम्पन्न करने हेतु बार–बार निदेशित करने के बावजूद इनके द्वारा कार्य सम्पन्न नहीं किया गया है। साथ ही प्रतिवेदित किया गया है कि दिनांक 20.11.2023 से अनाधिकृत अनुपस्थित रहने के संबंध में शिविर प्रभारी द्वारा पूछे गए स्पष्टीकरण का प्रतिउत्तर भी इनके द्वारा नहीं दिया गया है। फलस्वरूप कार्य में रूचि नहीं लेने एवं बिना सूचना के लगातार अनुपस्थित रहने के आलोक में संविदा समाप्ति की अनुशंसा की गयी है।

प्राप्त अनुशंसा के आलोक में भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के पत्रांक 751 दिनांक 12.02.2024 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की मांग की गयी है। श्री कुमार द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है। इनके द्वारा स्पष्टीकरण में यह अंकित किया गया है कि आवंटित ग्राम का खानापुरी कार्य दिनांक 17.11.2023 से इनके द्वारा प्रारंभ किया गया है, परन्तु शिविर प्रभारी एवं कानूनगो के मौखिक / लिखित निदेशानुसार 2500 से कम खेसरा वाले ग्राम के प्रपत्र–6 इंट्री एवं चौहद्दी अपडेशन के कार्य में इनके द्वारा सहयोग किया गया है। अपनी अनुपस्थिति के संबंध में इनके द्वारा पत्नी एवं नवजात शिशु की तबियत खराब रहने एवं स्वयं का पैर जख्मी होने का तथ्य दिया गया है। साथ ही साथ अंकित किया गया है कि वर्त्तमान में 4517 खेसरों का खानापुरी इनके द्वारा पूर्ण कर लिया गया एवं शेष का कार्य जल्द जल्द पूर्ण करने आवश्वासन दिया गया है।

श्री कुमार से प्राप्त स्पष्टीकरण पर निदेशालय पत्रांक 1300 दिनांक 11.03.2024 द्वारा बंदोबस्त पदाधिकारी से मंतव्य की मांग की गयी है, जिसके आलोक में बंदोबस्त पदाधिकारी ने पत्रांक 138–।। दिनांक 25.04.2024 द्वारा श्री कुमार के स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं मानते हुए पुनः संविदा नियोजन रद्द करने की अनुशंसा की गयी है।

बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित आरोप एवं प्राप्त मंतव्य / अनुशंसा तथा श्री कुमार से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी है। समीक्षोपरांत पाता हूँ कि श्री कुमार द्वारा अपने पक्ष में कहा गया है कि अन्य मौजों के कार्य में सहयोग करने के कारण इनको आवंटित मौजा के कार्य में विलंब हुआ है जबकि बंदोबस्त पदाधिकारी का मंतव्य है कि श्री कुमार द्वारा मात्र 87 कार्यदिवस ही अन्य मौजों में सहयोग किया गया है एवं 196 कार्यदिवस में आवंटित मौजा के 2751 खेसरों का ही सत्यापन किया गया है। साथ ही श्री कुमार द्वारा दिनांक 14.12.2023 को शिविर कार्यालय में योगदान करने की बात कही गयी है, परन्तु इससे संबंधी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा अपने मंतव्य में पुनः इनके विरूद्ध दिनांक 20.11.2023 से ही अनाधिकृत रूप से गायब रहने का आरोप लगाया गया है। साथ ही बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा यह भी अंकित किया गया है कि श्री कुमार आवंटित राजस्व ग्राम के सभी कागजात अपने पास रखे हुए हैं, जिसके कारण इस राजस्व ग्राम का कार्य बाधित है।

चूंकि बंदोबस्त पदाधिकारी के नियंत्रणाधीन इनके द्वारा कार्य किया गया है एवं इनके कार्यो की समीक्षा भी बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा की गयी है, ऐसे में इनके विरूद्ध बंदोबस्त पदाधिकारी का विपरित मंतव्य देना एवं संविदा समाप्ति की अनुशंसा किया जाना इनके कृत्यों को स्वतः परिलक्षित करता है। साथ ही श्री कुमार द्वारा संविदा समाप्ति संबंधी कार्रवाई से बचने के लिए दिनांक 14.12.2023 से योगदान देकर कार्य करने संबंधी भ्रामक जानकारी दी गयी है।

विशेष सर्वेक्षण कार्य समयबद्ध कार्यक्रम है, जिसे निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करना सरकार/विभाग का लक्ष्य है। श्री कुमार के अनुपस्थित रहने एवं आवंटित मौजा का कागजात अपने रखने के कारण लक्ष्य बाधित हुआ है। इनका यह कृत्य अनुशासनहीनता, स्वेच्छाचारिता एवं सरकारी कार्यो में बाधा उत्पन्न करने का परिचायक है। इन्हें स्पष्टीकरण से मुक्त किए जाने से इसका कुप्रभाव अन्य संविदा कर्मियों पर भी पड़ सकता है, इसके दृष्टिगत इन्हें संविदा में बनाए रखना उचित नहीं होगा।

अतः बंदोबस्त पदाधिकारी से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 एवं संशोधित नियमावली, 2022 के नियम 8(4) में वर्णित प्रावधान के तहत श्री प्रकाश कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन(AEN04080) का संविदा नियोजन समाप्त किया जाता है।

22/7/24

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः– 01/भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(खगड़िया)–05/2021(खंड)12876 **पटना, दिनांक :–** 22/07/2024

प्रतिलिपि :– श्री प्रकाश कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन(AEN04080), बंदोबस्त कार्यालय, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित।

22/7/24

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः– 01/भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(खगड़िया)–05/2021(खंड)12876 **पटना, दिनांक :–** 22/07/2024

प्रतिलिपि :– बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/7/24

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः– 01/भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(खगड़िया)–05/2021(खंड)12876 **पटना, दिनांक :–** 22/07/2024

प्रतिलिपि :– श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने तथा इसकी स्कैन कॉपी R2R अन्तर्गत इनकी व्यक्तिगत संचिका में भी अपलोड करने हेतु प्रेषित।

22/7/24

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप